(भारत के राजपत्र असाधारण भाग– II, खण्ड–3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं० 01/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 2017

विषय: खांड हेतु टीआरक्यू : आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1(आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत वर्गीकृत खांड की आयात नीति में संशोधन।

सा० आ० (अ) : समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत वर्गीकृत 'खांड' के लिए आयात नीति की शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है:–

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्तें	संशोधित नीतिगत शर्त
170114	खांड	मुक्त	--	एक्जिम कोड 170114 के तहत मदों का आयात "मुक्त" है। तथापि, 5 लाख मी० ट० तक आयात निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रशुल्क दर कोटा स्कीम (शुल्क मुक्त) के अधीन है।

2. (i) एक्जिम कोड 170114 के तहत खांड का 5 लाख मी० ट० आयात नीचे तालिका में दर्शाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों के माध्यम से मिल मालिकों/परिशोधन करने वालों द्वारा शुल्क मुक्त आयात किया जाना अनुमत है।

क्र. सं.	क्षेत्र	पत्तनों के नाम (केवल निम्नलिखित पत्तनों के माध्यम से आयात अनुमत है)	क्षेत्र वार आयात प्रतिबंध (प्रत्येक क्षेत्र के सामने दर्शायी गई कुल मात्रा के भीतर किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात किया जा सकता है।)
1.	पूर्व क्षेत्र	हल्दिया (पश्चिम बंगाल), पारादीप (ओडिशा)	0.50 लाख मी. ट.
2.	दक्षिण क्षेत्र	तूतीकोरिन, चेन्नई (तमिलनाडु), मैंगलोर (कर्नाटक), काकीनाडा (आंध्रप्रदेश)	3 लाख मी. ट.
3.	पश्चिम क्षेत्र	कांडला (गुजरात), जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट/मुंबई पोर्ट (महाराष्ट्र)	1.50 लाख मी. ट.
	कुल		5.00 लाख मी. ट.

ii. आवेदन :

क. विदेश व्यापार महानिदेशालय में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के एएनएफ–2 ड के अनुसार खांड के आयात के लिए खांड के इच्छुक मिल मालिकों/परिशोधन करने वालों (खांड से सफेद चीनी में परिशोधन करने की अपनी क्षमता वाले) से आनलाइन आवेदन sugarimporttrq-dgft@nic.in पर उप पैरा–'ख' में दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी, विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रतिलिपि के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी और विदेश व्यापार महानिदेशालय, मुख्यालय (आयात प्रकोष्ठ) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजनी होगी। इन आवेदनों के लिए आवेदन–शुल्क का भुगतान परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2 ट में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक शोधन इकाई हेतु आवेदकों को डीआईपीपी द्वारा जारी नवीनतम आईईएम की

स्वप्रमाणित प्रति प्रदान करते समय अपनी शोधन क्षमता की स्वघोषणा और/अथवा अपनी शोधन क्षमता इंगित करते हुए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

ख. आवेदक जो हल्दिया और पारादीप पत्तनों के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, कोलकाता को प्रस्तुत करने होंगे; जो तुतीकोरिन, चेन्नई और काकीनाडा पत्तनों के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, चेन्नई को प्रस्तुत करने होंगे जबकि जो मंगलोर पत्तन के माध्यम से आयात करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, बेंगलुरू को प्रस्तुत करने होंगे। पश्चिमी क्षेत्र के माध्यम से आयात हेतु सभी आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, मुम्बई को प्रस्तुत किए जाएंगे।

ग. आवेदन 13 से 24 अप्रैल 2017 (5 बजे शाम तक) के बीच प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र आवेदक हेतु कोटे के आवंटन को प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.51 के तहत ईएफसी के निर्णय के अनुसार 27 अप्रैल, 2017 को अधिसूचित किया जाएगा। ईएफसी, आवेदनों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ–साथ क्षेत्रीय आवंटन सीमा, आवेदक की मासिक शोधन क्षमता, आवेदक द्वारा आवेदित मात्रा तथा एक क्षेत्र में आवेदनों की कुल संख्या जैसे कारकों पर विचार करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी ईएफसी के निर्णय के अनुसार लाइसेंस/लाइसेंसों को जारी करेगा।

घ. आयातक अपना आयात कोटा प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर sugarimporttrq-dgft@nic.in. पर संबंधित आरए को साख पत्र/पुष्टि अनुबंध का विवरण भेजेगा। इस ई–मेल के विषय शीर्ष में "आवेदक का नाम/आईई कोड/आवेदन में उल्लिखित मात्रा मीट्रिक टन में/आरए का नाम जिसे आवेदन किया जा रहा है, का उल्लेख किया जाएगा। इसका अनुपालन न करने पर इस अधिसूचना के पैरा (iv) के अनुसार जुर्माना लगेगा और आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

ड. यदि आईईसी धारक विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से आयात करना चाहता है तो वह उपर्युक्त पैरा (iiक) में यथा उल्लिखित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा।

iii. **कोटे की वैधता :** – इस अधिसूचना के अंतर्गत टीआरक्यू लाभ (शुल्क मुक्त) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार 12 जून, 2017 तक उपलब्ध होगा।

iv. **जुर्माना:**– टीआरक्यू के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् यदि आवेदक कोटे का पूर्णतः/आंशिक रुप से उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है तो आवेदक 12 मई 2017 तक sugarimporttrq-dgft@nic.in. पर डीजीएफटी को अप्रयुक्त मात्रा का अभ्यर्पण करेगा। ऐसे मामले में आवेदक अप्रयुक्त कोटे की सीआईएफ मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि के जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अप्रयुक्त मात्रा की सूचना न देने पर 0.5 प्रतिशत जुर्माने के अतिरिक्त समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत उस पर आगे दंडात्मक कार्रवाई होगी।

v. **रिपोर्टिंग:**– लाइसेंस धारक sugarimporttrq-dgft@nic.in.पर साप्ताहिक (प्रत्येक सोमवार) विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें भारतीय पत्तनों पर वास्तविक पोतलदानों का उल्लेख होगा।

vi. **पुनः आबंटन** :– अभ्यर्पित अथवा निरस्त कोटे यदि कोई हो, को अन्य पात्र आवेदकों को एक सप्ताह के अंदर आवंटित किया जाएगा।

vii. डीजीएफटी के पास किसी भी समय अन्तर–क्षेत्रीय सीमाओं सहित आवटंन में कोई परिवर्तन जैसा कि उचित समझा जाए, करने का अधिकार सुरक्षित है।

इस अधिसूचना का प्रभाव:– आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के अंतर्गत 5 लाख मिट्रिक टन खांड का आयात टीआरक्यू के तहत शुल्क मुक्त रुप में अनुमत किया जाता है।

अजय भल्ला

(ए.के.भल्ला)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई–मेल : dgft@nic.in

(फा० सं० 01/89/180/विविध–13/एएम–07/पीसी 2 क से जारी)